उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-41/2021/1331जेएल/22-3-2021-100(9)/2020

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2021

कार्यालय - ज्ञाप

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4887/सामा-1(7)/वाराणसी/2019, दिनांक 14-02-2020 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-26/2020/390जेएल/22-3-2020-100(9)/2020, दिनांक 17-03-2020 द्वारा प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा को जिला कारागार चित्रकूट में स्थानांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, चित्रकूट में स्थानांतरित किए जाने हेतु कारागार मुख्यालय के आदेश संख्या-8192/सामा-1(7)/वाराणसी/2020, दिनांक 20-03-2020 द्वारा अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 18-03-2020 को बंदी को जिला कारागार, चित्रकूट में स्थानांतरित कर दिया गया ।

2- इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस0 रिट याचिका संख्या-2831/2021 ऊषा देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05-05-2021 को निम्नवत आदेश पारित किए गए हैं : -

Learned Additional Advocate General submitted that there is a history of the son of the petitioner. This is orally stated that the order impugned is not spelling out itself. The State authorities shall pass a fresh order and fresh proposal within a period of four weeks from today.

The Court as such during this pandemic are not functioning. We are quashing this order only because it does not spell out reasons. The State authorities are directed to pass a fresh reasoned order and a fresh proposal within a period of four weeks from today. Learned A.G.A. will appraise the officer concerned about the said decision cited herein above.

We quash the impugned order as the Court are not yet functioning if his presence in the Varanasi Jail is not conducive of the administration of justice his lodgement back to Varanasi shall remain stayed till fresh orders are passed.

We are thankful to the learned Additional Advocate General and Sri Manish Singh, learned counsel for the petitioner for assisting the Court.

With this observation, the writ petition is disposed of.

3- प्रश्नगत याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-05-2021 की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी के पत्र संख्या-699/यू0टी0/2021, दिनांक 03-06-2021 द्वारा मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने की अपेक्षा की गयी , जिसके क्रम में उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18178/सामा-1(7)/रिट 2831/2021, दिनांक 20-07-2021 द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत बंदी के स्थानांतरण के संबंध मे नये सिरे से सकारण मुखरित आदेश पारित किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक के पत्र संख्या-4887/सामा-1(7)/वाराणसी/2019, दिनांक 14-02-2020 द्वारा उप महानिरीक्षक, कारागार, प्रयागराज परिक्षेत्र/वाराणसी के पत्र सं0-5096/बंदी स्था0 /2020, दिनांक 15-01-2020, अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी के पत्र सं0-68/यू0टी0/2020, दिनांक 19-01-2020 एवं संलग्न बंदी स्थानांतरण रोल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के पत्र संख्या-रीडर-उ0अप0-05/2019, दिनांक 03-01-2020 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया कि जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा एक शातिर किस्म का अपराधी है व थाना-कैण्ट का हिस्ट्रीशीटर है तथा गैंग डी0-09/आई0डी0-23 गैंग का सदस्य है । उसके विरूद्ध जनपद के थानों एवं आस-पास के जनपदों के थानों में कुल 41 अभियोग पंजीकृत हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गोपनीय सूचना के अनुसार उक्त अभियुक्त द्वारा कोई अग्रिम संज्ञेय अपराध (षड्यन्त्र करनें) की घटना कारित की जा सकती है । उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी की आख्या दिनांक 15-01-2020 के साथ प्राप्त अधीक्षक, जिला कारागार वाराणसी के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 19-01-2020 अनुसार उक्त बंदी स्थानीय होने के कारण कारागार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बंदियों को भड़काने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने के साथ कारागार में गुटबाजी करता है। प्रश्नगत बंदी जिला कारागार, रूपनगर पंजाब से स्थानांतरित होकर दिनांक 22-12-2019 को जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध हुआ है। बंदी का अपराधिक क्षेत्र जनपद वाराणसी तथा उसके आस-पास का है। उक्त बंदी पूर्व में भी कई बार जिला कारागार में वाराणसी में निरूद्ध रह चुका है एवं इसको कारागार विरोधी गतिविधियों के कारण दिनांक 26-12-2019 को दंडित भी किया गया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत कारागार की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त रखने के उद्देय से विचाराधीन बंदी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा को अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया गया है।

5- उप महानिरीक्षक, कारागार वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी के प्रस्ताव एवं तत्क्रम में प्राप्त कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ की संस्तुति के आलोक में जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, चित्रकूट में स्थानांतरित किया गया। अतएव मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-05-2021 के अनुपालन में उपर्युक्त प्रस्तर-04 में उल्लिखित कारणों एवं तत्क्रम में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शासन द्वारा पुन: सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार चित्रकूट में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

संख्या- /2021/1331जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-18178/सामा-1(7)/रिट 2831/2021, दिनांक 20-07-2021 के सन्दर्भ में यथाआवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी एवं चित्रकूट ।
5- पुलिस आयुक्त,वाराणसी ।
6- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट ।
7- श्री अमरनाथ विश्वकर्मा, राज्य विधि अधिकारी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-क्रि0/8405, दिनांक 07-04-2021 के सन्दर्भ में।
8- अधीक्षक, जिला कारागार चित्रकूट/वाराणसी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in